आवश्यक रूप से हाजिर रखे। मिसल भरते। फिरह गवाह वादी दि० 5-8-2019 को पेश हो।

5/8/2019 कुलाय उप० आज अवकाश अधिकारी ... है। पत्रावली दिनांक 7-10-2019 को पेश हो।

7/10/2019 अधिकारी रुग्णावकाश है। पत्रावली दिनांक 25-11-2019 को पेश हो।

दिनांक 25-11-2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी श्री विजयराज चौधरी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वादी की मृत्यु हुये एक वर्ष से अधिक की समयावधि होने के बावजूद मृत वादी के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र वादी पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है। C.P.C. के प्रावधानो अनुसार वादी का उक्त वाद अबेट हो चुका है। इस संबंध में वकील वादी को आवाज लगाये जाने पर वकील वादी श्री कुदाराम चौधरी उपस्थित हुये परन्तु वादी पक्ष के साक्ष्य उपस्थित नहीं हुये। वादी अधिवक्ता को वादी की मृत्यु के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु बताये जाने पर वादी अधिवक्ता द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	भी वादी की मृत्यु होने के तथ्य को स्वीकार किया गया। इस संबंध में संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता 2002 मे विधि के प्रावधानो अनुसार O-22 R-3 के अनुसार विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर मृत वादी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर वाद उपशमन (Abe..) हो जायेगा। इस संबंध मे लिमिटेशन Act मे परिसीमा काल की अनुसूची का अवलोकन किये जाने पर जाहिर है कि मृत वादी या प्रतिवादी के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लाने के लिये 90 दिवस की अवधि में प्रा.पत्र पेश करना आवश्यक होता है, जबकि उक्त प्रकरण मे वादी की मृत्यु होने के एक वर्ष की कालावधि तक कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी पक्ष की मृत्यु एक वर्ष पूर्व होना जाहिर किया गया है, जिसका खण्डन वादी अधिवक्ता द्वारा भी नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय के समक्ष इस बिन्दु। दलील को मानने मे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि वादी की मृत्यु हुये 90 दिवस से अधिक की समयावधि व्यतीत हो चुकी है। तथा 90 दिवस की समयावधि व्यतीत होने के बावजूद वादी पक्ष द्वारा आदिनांक तक वादी हीराराम के कामु. को रेकर्ड पर लिये जाने बाबद किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। जिससे वाद अवलोकन पत्रावली CPC के आदेश 22 नियम 3(2) के तहत वाद वादी Abatement. उपशमन Sd/-

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
के प्रावधानो अनुसार खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

नजरी नक्शा

नक्शा - किश्तवार

ग्राम - मोखमपुरा

तहसील - बाली

जिला - पाली

पै० १ से०मी० = ४० मीटर

EX - 5

18/2/16

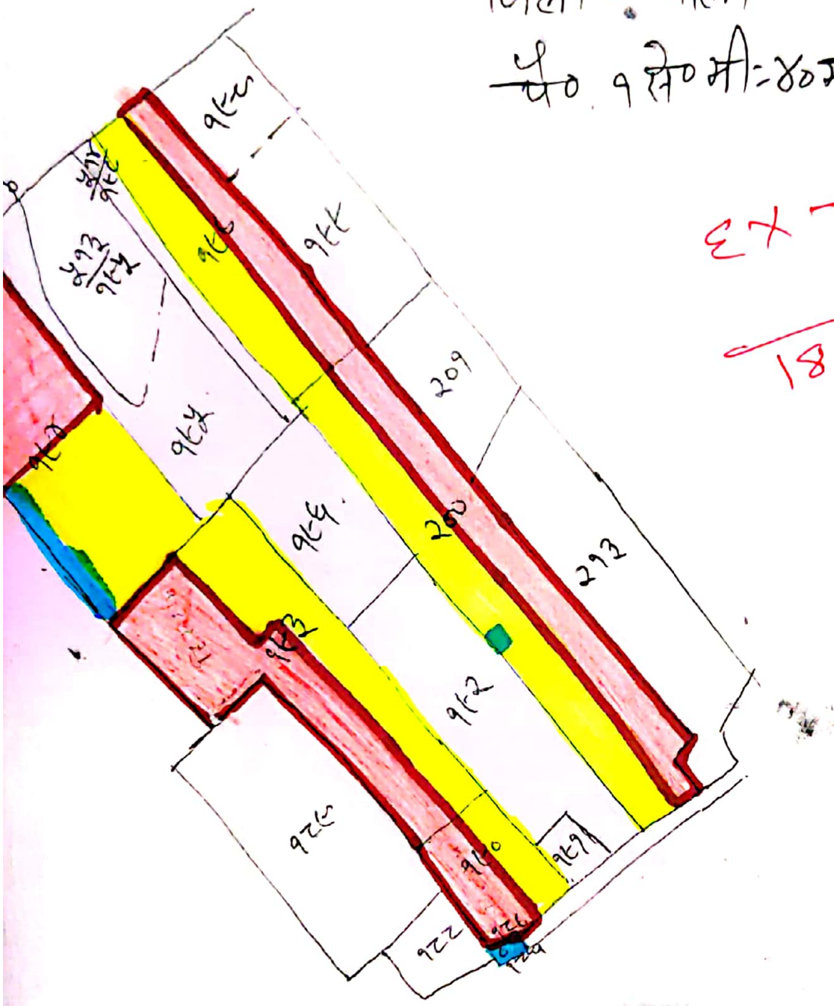

सत्य प्रतिलिपि

नं.35 क्रमांक 29 दिनांक 14-5-2014

14-5-14

पटवारी (भू.अ.) मोखमपुरा

तहसील बाली (पाली)

नि. अं. हीराराम

- आम रास्ता कृषि भूमि चर्चा
- वादी की कृषि भूमि
- प्रतिवादीगण की कृषि भूमि

वाद अन्तर्गत 53, 88, 188 आर0 टी0 एक्ट

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.12.06 13:01:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: